भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1007

24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तमिलनाडु में आयुष महाविद्यालयों का कार्यकरण

1007. श्री जी. सेल्वम:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में चल रहे आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी महाविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है, तथा शैक्षणिक वर्षों 2024-25 और 2025-26 के दौरान उनमें वार्षिक दाखिला की क्षमता कितनी थी और वास्तव में कितने अभ्यर्थियों का दाखिला हुआ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त राज्य में आयुष संस्थानों में सीटों, संकाय और अवसंरचना की पर्याप्तता का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राज्य में विभिन्न आयुष क्षेत्रों के अंतर्गत अनुसंधान संस्थानों और महाविद्यालयों को पिछले पाँच वर्षों में आवंटित की गई और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस), केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) और केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) के माध्यम से दी गई सहायता क्या है;

(घ) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार की ओर से नए आयुष महाविद्यालय स्थापित करने या राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों को बढ़ाने के कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित हैं और विलंब के कारण क्या हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त राज्य के सभी आयुष महाविद्यालयों में पर्याप्त क्लिनिकल अनुभव, अस्पताल सुविधाएं और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): तमिलनाडु में संचालित आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी महाविद्यालयों की कुल संख्या, उनकी वार्षिक प्रवेश क्षमता और शैक्षणिक वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 के दौरान उनमें हुए वास्तविक प्रवेश का विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) और (ङ): केंद्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 अधिनियमित किए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) नाम के दो आयोगों का गठन किया है, ताकि एनसीआईएसएम अधिनियम, 2020 और एनसीएच अधिनियम, 2020 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कार्यों का निष्पादन किया जा सके। एनसीआईएसएम ने आयुर्वेद चिकित्सा संस्थानों के आकलन और रेटिंग के लिए स्नातक आयुर्वेद

महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग विनियम, 2024; यूनानी चिकित्सा संस्थानों के आकलन और रेटिंग के लिए स्नातक यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग विनियम, 2023; सिद्ध चिकित्सा संस्थानों के आकलन और रेटिंग के लिए स्नातक सिद्ध महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग विनियम, 2024; सोवा-रिग्पा चिकित्सा संस्थानों के आकलन और रेटिंग के लिए स्नातक सोवा-रिग्पा महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग विनियम, 2023; और होम्योपैथी चिकित्सा संस्थानों के आकलन और रेटिंग के लिए एनसीएच द्वारा अधिसूचित चिकित्सा संस्थानों के आकलन और रेटिंग विनियम, 2024 अधिसूचित किया। उपर्युक्त विनियमों में आयुष चिकित्सा संस्थानों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक/न्यूनतम मानक अपेक्षाएँ निर्धारित की गई हैं, जिनमें अवसंरचना, संकाय, शिक्षण अस्पताल, नैदानिक सुविधाएँ, रोगी उपस्थिति, उपकरण और अन्य शैक्षणिक अपेक्षाएँ शामिल हैं। इन मानकों का अनुपालन प्रवेश की अनुमति देने या नवीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान संबंधित चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्डों द्वारा किया जाता है। यह तंत्र तमिलनाडु राज्य सहित देश भर के आयुष महाविद्यालयों में सीटों, संकाय, अवसंरचना, नैदानिक प्रदर्शन और गुणवत्ता मानकों की पर्याप्तता सुनिश्चित करता है।

(ग): चूँकि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं इसलिए नए आयुष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और मौजूदा संस्थानों का उन्नयन तमिलनाडु सरकार सहित संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालाँकि, आयुष मंत्रालय तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार, समग्र विकास और जन जागरूकता के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है। एनएएम के तहत, पात्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एनएएम दिशानिर्देशों के अनुसार और आकलन, अनुमोदन और राशि की उपलब्धता होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ, (i) अल्प-सेवित राज्यों में नए सरकारी आयुष महाविद्यालयों की स्थापना; और (ii) आयुष शैक्षणिक संस्थानों, जिनमें स्नातक (यूजी), स्नातकोत्तर (पीजी), के साथ-साथ पैरामेडिकल और फार्मेसी कार्यक्रम शामिल हैं, के लिए अवसंरचनात्मक सहयोग का प्रावधान है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान तमिलनाडु सरकार द्वारा एनएएम के तहत आवंटित और उपयोग की गई राशि का विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान उक्त राज्य में विभिन्न आयुष विषयों के तहत अनुसंधान संस्थानों और महाविद्यालयों को आवंटित और उपयोग की गई राशि का विवरण, जिसमें केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस), केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएच) और केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरयूएम) के माध्यम से प्रदान की गई सहायता, साथ ही अल्प-सेवित राज्यों में नए सरकारी आयुष महाविद्यालयों की स्थापना और अवसंरचनात्मक सहयोग के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत जारी और उपयोग की गई राशि का विवरण, आयुष शैक्षणिक संस्थानों को दी गई सहायता का विवरण, जिसमें स्नातक (यूजी), स्नातकोत्तर (पीजी), के साथ-साथ पैरामेडिकल और फार्मेसी कार्यक्रम शामिल हैं, **संलग्नक -II** में दिया गया है।

आयुष मंत्रालय वर्ष 2021-22 से आयुर्ज्ञान नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य अतिरिक्त बाह्य अनुसंधान गतिविधियों और शैक्षणिक गतिविधियों, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण आदि के माध्यम से शिक्षा प्रदान करके आयुष में अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करना है। इस योजना के तहत, तमिलनाडु राज्य में स्थित विभिन्न संस्थानों/संगठनों को 572 लाख रुपए (अर्थात

सीएमई के तहत 173.50 लाख रुपए और आर एंड आई घटक के तहत 398.50 लाख रुपए) की वित्तीय सहायता जारी की गई है।

(घ): आयुष मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित किया रहा है। एनएएम के तहत, पात्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एनएएम दिशानिर्देशों के अनुसार और आकलन, अनुमोदन और राशि की उपलब्धता होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना या स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों को बढ़ाने के लिए तमिलनाडु सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं है। चूँकि, जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, इसलिए नए आयुष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और मौजूदा संस्थानों का उन्नयन तमिलनाडु सरकार सहित संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

संलग्नक-I

तमिलनाडु में संचालित आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी महाविद्यालयों की कुल संख्या, उनकी वार्षिक प्रवेश क्षमता और शैक्षणिक वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 के दौरान उनमें हुए वास्तविक प्रवेश का विवरण

2024-25

पद्धति	महाविद्यालय	यूजी में वार्षिक प्रवेश क्षमता	यूजी में प्रवेश	पीजी में वार्षिक प्रवेश क्षमता	पीजी में प्रवेश
आयुर्वेद	08	430	380	30	30
सिद्ध	16	1040	1030	152	150
यूनानी	01	60	51	11	11
होम्योपैथी	14	1073	912	123	86

2025-26*

पद्धति	महाविद्यालय	यूजी में वार्षिक प्रवेश क्षमता	यूजी में प्रवेश	पीजी में वार्षिक प्रवेश क्षमता	पीजी में प्रवेश
आयुर्वेद	08	430	365	30	27
सिद्ध	16	1040	880	152	144
यूनानी	01	75	56	11	11
होम्योपैथी	14	1073	672	123	80

***स्रोत: एनसीआईएसएम और एनसीएच**

संलग्नक- II

क. तमिलनाडु में केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस) के लिए पिछले पाँच वर्षों के दौरान बजट आवंटन और उपयोग निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

संस्थान	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
डॉ. अचंता लक्ष्मीपति क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (एएलआरएआरआई), चेन्नई	2.00	2.50	2.70	3.57	3.64
कैप्टन श्रीनिवास मूर्ति केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (सीएसएमसीएआरआई), चेन्नई	3.04	4.78	5.88	6.00	6.02

*** स्रोत: सीसीआरएएस**

ख. पिछले पाँच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएच) के लिए बजट आवंटन निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

संस्थान	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
होम्योपैथी औषधीय पादप अनुसंधान केंद्र, ऊटी	64.45	60.08	74.13	68.73	56.47
दिव्यांगजन हेतु होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान (एचआरआईडी), चेन्नई	107.11	129.34	96.80	82.88	130.96

*** स्रोत: सीसीआरएच**

ग. पिछले पाँच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरयूएम) के लिए बजट आवंटन निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

संस्थान	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आरआरआईयूएम), चेन्नई	9.148	7.8075	10.4684	12.7500	14.0543

*** स्रोत: सीसीआरयूएम**

घ. राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) में अन्य बातों के साथ-साथ, तमिलनाडु राज्य में नए सरकारी आयुष महाविद्यालयों की स्थापना और पिछले पाँच वर्षों (2021-22 से 2025-26) के दौरान आयुष शैक्षणिक संस्थानों, जिनमें स्नातक (यूजी), स्नातकोत्तर (पीजी), के साथ-साथ पैरामेडिकल और फार्मेसी कार्यक्रम शामिल हैं, के लिए अवसंरचनात्मक सहयोग का प्रावधान है-

(करोड़ रुपये में)

2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
23.483	24.287	66.358	73.803	23.035

***स्रोत: एनएएम**